संख्या-014/वीजीएल/066
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 19.03.2015

परिपत्र सं-03/03/15

विषय: केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दण्डय अपराधों एवं धोखाधड़ियों आदि के कथित मामलों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजना - केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता प्रबंधन पर विशेष अध्याय संबंधी ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(ज) के अंतर्गत अपनी शक्तियों के अनुसरण में आयोग, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण रखने का अपना कार्य करता है । आयोग ने हाल ही में देखा है कि केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में पता लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं तथा धोखाधड़ियों सहित दण्डय कदाचार के ऐसे मामलों की संख्या प्रत्येक वर्ष बहुत कम हैं जिन्हें अन्वेषण के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा जा रहा है ।

2. सामान्य नियम के अनुसार, इस तरह के आपराधिक मामलों में अन्वेषण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा जाना चाहिए । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता प्रबंधन के लिए विशेष अध्याय के पैरा 11.3.1 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की स्वीकृति के साथ मामलों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा जाना चाहिए, यदि (i) आरोप आपराधिक प्रकृति के हैं (अर्थात रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासभंग, आय के ज्ञात स्रोत से अनुपातहीन संपत्ति रखना, ठगी आदि) अथवा (ii) आरोप में गैर-सरकारी व्यक्तियों से पूछताछ करने की आवश्यकता हो; अथवा (iii) आरोप में निजी रिकार्ड की जांच शामिल हो; अथवा (iv) निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विशेषज्ञ पुलिस जांच करने की आवश्यकता हो; अथवा (v) विदेश में अन्वेषण की आवश्ययकता हो । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता प्रबंधन के विशेष अध्याय के पैरा 9 के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को त्रैमासिक आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ लगातार चर्चा करने तथा सूचना का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता है । उक्त पैरा 9.4 में, यह भी निर्धारित है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 25 लाख से अधिक के लेनदेन वाले मामले अथवा राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार वाले मामले ही केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजें तथा अन्य मामले स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को भेजे जाने होते हैं । अन्य शब्दों में, वे मामले जिनमें, भारतीय दंड संहिता(आईपीसी), भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम, 1988 अथवा किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी दण्डय अपराध के कृत्य प्रत्यक्षत: हैं, को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे जाने की आवश्यकता है ।

3. आयोग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में ऐसे उदाहरण भी देखें हैं जहां केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के प्रथम दृष्टया दण्डय अपराधों, वित्तीय अनियमितताओं तथा बड़ी घोखाधड़ी वाले

संदर्भ/मामले, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्थान पर स्थानीय पुलिस/राज्य पुलिस प्राधिकारियों को अन्वेषण के लिए भेजे जा रहे हैं । आयोग सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सलाह देता है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता प्रबंधन के विशेष अध्याय में दी गई निर्धारित प्रक्रिया तथा सिद्धांतों का सख्ती से अनुपालन करें ।

4. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी मामले जिनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्पष्ट है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचार रोधी शाखा को भेजे जाएंगे तथा जहां कर्मचारियों की सहभागिता प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं है, ऐसे मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की आर्थिक अपराध शाखा को भेजे जाएंगे । इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त प्रकृति के केवल ऐसे आपराधिक मामले स्थानीय पुलिस/राज्य पुलिस को भेजे जाएंगे जिनमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अन्वेषण करने से मना कर दिया है अथवा जिनमें 25 लाख रू0 से कम का लेनदेन है ।

5. सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सलाह दी जाती है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अभिज्ञान में आए हुए, आपराधिक प्रकृति के संदर्भ/मामले जिनमें स्वंय के/बाहरी व्यक्ति शामिल हैं, में उपयुक्त प्रावधानों का अनुपालन करें । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारी, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नोटिस किए गए मामलों का विवरण तथा उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति के बारे में अपनी मासिक रिपोर्ट में नियमित रूप से आयोग को रिपोर्ट करेंगे ।

-ह0-

(जे.विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में

सभी मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सभी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रति सूचनार्थ :- संयुक्त निदेशक(नीति), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नीति मंडल, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 - इस अनुरोध के साथ कि तदनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सभी भ्रष्टाचार रोधी शाखाओं/आर्थिक अपराध स्कंधों को उचित रूप से सूचित करें ।